	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.1.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० है। अप्रार्थीगण संख्या 3,5 के नोटिस बाद तामील संलग्न है। बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र T-I- पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने हेतु निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस में दिये गए तर्कों पर मनन किया। विभाजन से पूर्व प्रत्येक सहखातेदारान का सम्पूर्ण भूमि के प्रत्येक हिस्से पर हक एवं अधिकार होता है। अतः न्यायालय सहखातेदारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नही समझता है। प्रार्थी का प्रार्थना अंतर्गत धारा 212 RT Act वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहें। [signature] उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	